न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 04/2024 GCMS NO. 2024/4 निर्णय दिनांक 07.08.2024

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का शेरपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

हेतराम पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन तख्तपुरा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

(अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शेरपुरा व भू.अ.निरीक्षक राणेर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी ने चक 4 केपीएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 126/13 के किला नम्बर 1/1 में 12 X 30 = 360 वर्गफीट (0.0033 हैक्टेयर) गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर मकान (दिवारे कच्ची व छत पक्की) का निर्माण कर कृषि सम्वत् 2081 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, अप्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। जबकि भू.अ.निरीक्षक राणेर व पटवारी हल्का शेरपुरा के द्वारा अप्रार्थी के द्वारा किये गये अतिक्रमण की पी. 14 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्तिं तक दण्ड़ का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू–राजस्व का 50 गुना 88/– अक्षरे अठ्यासी रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। भू.अ.निरीक्षक, पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि चक 4 केपीएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 126/13 के किला नम्बर 1/1 में 12 X 30 = 360 वर्गफीट (0.0033 हैक्टेयर) गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर मकान (दिवारे कच्ची व छत पक्की) का अवैध निर्माण हटाकर, रास्ता खुलवाकर, अप्रार्थी को बेदखल कर फर्द मौका रिपोर्ट मय बेदखली प्रस्तुत करे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को अप्रार्थी से शास्ति वसूल करने एवं मौके से बेदखली बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमारी)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner